Attachment - 1.5

प्रपत्र-1.10

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, मड़मानले दोबांस के किमी० 10.000 से थौलकाण्डा मोटर मार्ग (10.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुये एक विस्तृत आख्या।

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार बसावट थौलकाण्डा की आबादी 330 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से काश्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि ०.७० है०, नाप भूमि ३.७२ है०, सिविल सोयम भूमि ४.५८ है० एवं मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल हेतु वन पंचायत भूमि ०.१२०० है०, सिविल सोयम भूमि ०.८४० है० प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु २ समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० २ को निरस्त कर समरेखण नं० १ को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० १ को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 10.000 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार सिविल सोयम भूमि ६ मीटर, चौड़ाई एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु ६.२३० है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

Scanned by CamScanner